



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

एफ29(39)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/सर्क्यूलर/09/1806


दिनांक 21-6-13

समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय, राजस्थान
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राजस्थान
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप खण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालय, राजस्थान
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान

परिपत्र संख्या 29

मंत्रिमण्डल की आज्ञा 92/2013, दिनांक 20.05.2013 एवं प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ16(1)वियो/आस्था/2013/2854, दिनांक 28.05.2013 की अनुपालना में आस्था कार्डधारी परिवारों की महिलाओं के प्रथम राजकीय संस्थागत प्रसव पर 5 लीटर सरस देशी घी उपहार स्वरूप योजना के तहत वे समस्त लाभ प्रदान किये जायेंगे जो कि वर्तमान में बीपीएल परिवारों की महिलाओं को उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

आस्था कार्डधारी परिवारों को भी बीपीएल परिवारों के समान ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2013-14 की अनुपालना में हार्ट, कैंसर एवं किडनी रोग के ईलाज हेतु चिन्हित निजी चिकित्सालयों में ईलाज करवाने पर प्रति रोगी अधिकतम एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता निजी चिकित्सालयों (राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित सूची में सम्मिलित) को उपलब्ध करवाई जावेगी।


प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीया संसदीय सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

6. अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
14. आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सिविल लाईन्स फाटक के पास, जयपुर।
15. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
16. निदेशक, (बजट) वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. निदेशक, आईईसी/जन स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/एड्स, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
18. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम/एमएमजेआरके, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
19. निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
20. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजस्थान।
21. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
22. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, अपने जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को परिपत्र की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
23. प्रभासी सर्वर रूम कृपया संबंधित को ई-मेल करवाये एवं विभाग की संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करवाये।
24. सलाहकार (आईटी) एमएमजेआरके को भेजकर लेख है कि कृपया परिपत्र को एमएमजेआरके के सॉफ्टवेयर एवं संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करवाये।

शासन सचिव

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 एवं
मिशन निदेशक, एनआरएचएम